न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार ,आर.ए.एस

रा.प्रा.पत्र संख्या 41/2019
राजस्व प्रा.पत्र संख्या 41/2019

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| गजेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंहजी जाति राजपूत आयु 37 वर्ष निवासी मडीया तहसील व जिला सिरोही | | 1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,सिरोही<br>2– जेठूसिंह पुत्र गंगासिंहजी राजपूत आयु व्यस्क निवासी मडीया तह.सिरोही<br>3– देशकुंवर पत्नि गंगासिंहजी राजपूत आयु व्यस्क निवासी मडीया तह.सिरोही |

उपस्थित :–
1– प्रार्थी की ओर से वकील श्री जितेन्द्रसिंह देवडा
2– अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालन्द्री)

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड इन्द्राजात दुरूस्ती करने हेतु

आदेश

दिनांक 29–8–2019

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 तक वास्ते राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात दुरूस्ती करवाने का इस न्यायालय मे दि 5–7–2019 को पेश किया जिसका प्रार्थनापत्र मे संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि मय कुंआ की आराजी मौजा मडीया पटवार हल्का मडीया तहसील सिरोही जिला सिरोही मे आई हुई है जिसकी विगत राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2071–2074 अनुसार निम्न प्रकार से है :–

| खाता संख्या | खसरा नंबर | रकबा | किस्म |
|---|---|---|---|
| नया –135 | 1368 | 0.0800 हैक्टेयर | गै.मु. रास्ता |
| पुराना–119 | 1369 | 0.0200 हैक्टेयर | गै.मु. चाह |
| | 1370 | 5.9500 हैक्टेयर | चाही–3 |
| | 1376 | 0.2400 हैक्टेयर | चाही 3 |
| | 385 | 2.4700 हैक्टेयर | बारानी 2 |

कुल किता 05 कुल क्षैत्रफल 8.7600 हैक्टेयर

उपरोक्त वर्णित आराजी के पुराना खसरा संख्या कमशः 1097,1097 मी.1096,1098 मी.व 270 दर्ज है। जिसमे राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदार गंगासिंह पुत्र पदमसिंहजी की मृत्यु के बाद उनके वारिसान मे नामान्तकरण दर्ज के समय राजस्व कर्मचारियों की भूल से खातेदार गजेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंहजी के स्थान पर गलत 9नाम नरेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह दर्ज कर दिया है जबकि नामान्तकरण पंजिका (पेढी पत्रक) वारिसान मे सही इन्द्राज किया गया है जो नामान्तकरण रजिस्टर से स्पष्ट है। उपरोक्त वर्णित आराजी पुश्तैनी है। जिसमे प्रार्थी के नाम बतौर वारिसान नामान्तकरण दर्ज के समय उपरोक्त वर्णित आराजी मे खातेदार गजेन्द्रसिंह के स्थान पर नरेन्द्रसिंह का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड मे राजस्व कर्मचारियों की भूल व त्रुटिवश दर्ज हुआ है जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेज गजेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह के नाम से बने हुये है। राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही व भूल से राजस्व रेकर्ड मे गजेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह के स्थान पर नरेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह का गलत इन्द्राज कर देने से प्रार्थी को अकारण परेशानी का सामना करना पड रहा है। उक्त त्रुटि को सुधारने हेतु कइ बार प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को निवेदन किये गये एवं हल्का पटवारी से भी निवेदन किया गया लेकिन बावजूद निवेदन आज दिन तक अप्रार्थी संख्या एक द्वारा राजस्व रेकर्ड मे उक्त त्रुटि को सुधारकर सही इन्द्राज नरेन्द्रसिंह के स्थान पर गजेन्द्रसिंह नही करने से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कारण पैदा हुआ है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम मडीया पटवार हल्का मडीया तहसील व जिला सिरोही मे स्थित कृषि भूमि मय कुंआ नया खाता संख्या 135 पुराना 119 खसरा संख्या कमशः 1368,1369,1370,1376,385 कुल किता 5 कुल रकबा 8.7600 हैक्टेयर मे खातेदार नरेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह के स्थान पर गजेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह के दर्ज करने हेतु अप्रार्थी संख्या एक को निर्देश दिलाना फरमावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित दस्तावेजात प्रतियों मे मौजा मडीया तहसील सिरोही जिला सिरोही की जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 135 नया के खसरा नंबर 1368,1369,1370,1376,385 कुल किता 5 कुल रकबा 8.7600 हैक्टेयर नामान्तकरण संख्या 528 जमाबंदी खतौनी संवत 2046 से 2040 मतदाता पहचान पत्र ,आधार कार्ड की प्रतियों का अवलोकन करने पर प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ सहमत होने से न्यायालय मे दिनांक 5–7–2019 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये । जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नोटिस तामिलशुदा इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 19–8–2019 को प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये ।

इस न्यायालय मे दिनांक 28–8–2019 को विचारण प्रकरण मे अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही ने जरिये पत्र कमांक 574 दिनांक 26–8–2019 को प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया ।

अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार ,सिरोही ने अपने उक्त जवाब के माध्यम से यह कथन किया कि ग्राम मडीया के वर्तमान जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के खाता संख्या 135 के अनुसार वर्णित वादग्रस्त भूमि मे अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के साथ सहखातेदार है। ग्राम मडीया के मिलान क्षैत्रफल के अनुसार वर्णित आराजी के पुराने खसरा नंबर सही है। प्रार्थी का यह कथन सत्य है कि उनको यह आराजी उनके पिताजी श्री गंगासिंह पुत्र पदमसिंह राजपूत की मृत्यु के उपरान्त विरासत मे मिली है। ग्राम मडीया के नामान्तकरण संख्या 528 दिनांक 23–5–1990 मे प्रार्थी का नाम नरेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह दर्ज है तथा उसमे भी सजरा पेढीपत्रक मे प्रार्थी का नाम गजेन्द्रसिंह अंकित है अतएव प्रार्थी का वास्तविक नाम गजेन्द्रसिंह ही है। प्रार्थनापत्र मे वर्णित आराजी पुश्तैनी है। प्रार्थनापत्र के संलग्न प्रार्थी के आधार कार्ड ,मतदाता पहचानपत्र,परिवार राशनकार्ड एवं पेनकार्ड की फोटो प्रतियों मे प्रार्थी का नाम गजेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह दर्ज है जबकि

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

Continue Page No2

राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम नरेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह दर्ज है। प्रार्थी का यह कथन सत्य है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम गजेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह राजपूत है जबकि राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम नरेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह राजपूत अंकित है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत मडीया द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक/ग्रा.पं.म/2019/356 दिनांक 14–6–2019 मे भी पुष्टि की गई है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम गजेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह राजपूत ही है तथा नरेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह राजपूत नाम का कोई व्यक्ति ग्राम मडीया मे नही है। अतएव प्रार्थी का नाम नरेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह राजपूत के स्थान पर गजेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह राजपूत दर्ज किया जाना उचित है।

विचारण प्रकरण की आज दौराने सुनवाई अप्रार्थी संख्या 2 जेठूसिंह तथा अप्रार्थी संख्या 3 देशकुंवर ने संयुक्त रूप से जवाब पेश कर सहमति जाहिर की है कि हम अप्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि के संयुक्त खातेदार मय कब्जे काश्त की है। उक्त वर्णित आराजी मे अप्रार्थी संख्या 2 व प्रार्थी के पिता तथा अप्रार्थी संख्या 3 के पति श्री गंगासिंह पुत्र पदमसिंहजी की मृत्यु के बाद वारिसदार नामान्तकरण के समय प्रार्थी श्री गजेन्द्र के स्थान पर नरेन्द्रसिंह के नाम का म्युटेशन गलत दर्ज हो गया जबकि सही नाम गजेन्द्रसिंह है जिसका शुद्वि प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय मे पेष किया गया है तथा उक्त प्रार्थनापत्र के जरिये संशोधन नरेन्द्रसिंह के स्थान पर गजेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह जी का किया जाता है तो हमारी पूर्ण सहमती है।

इस न्यायालय मे दिनांक 28–8–2019 को विचारण प्रकरण मे वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार ,सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार,कालन्द्री) द्वारा प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट पर अंतिम बहस सुनने का निवेदन करने से वकील प्रार्थी व अप्रार्थी तहसीलदार,सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

हमने विचारण प्रकरण मे वकील प्रार्थी व अप्रार्थी तहसीलदार,सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनकर उस पर मनन किया । विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय प्रार्थनापत्र व प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित दस्तावेजात प्रतियों मे मौजा मडीया तहसील सिरोही जिला सिरोही की जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 135 नया के खसरा नंबर 1368,1369,1370,1376,385 कुल किता 5 कुल रकबा 8.7600 हैक्टेयर नामान्तकरण संख्या 528 जमाबंदी खतौनी संवत 2046 से 2040 मतदाता पहचान पत्र ,आधार कार्ड की प्रतियों जवाब व प्रतियों का अवलोकन कर उस पर मनन किया । विचारण सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया कि अप्रार्थी तहसीलदार,सिरोही ने अपने जवाब मे प्रार्थी के प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों को एडमिट (स्वीकार) करते हुये प्रार्थी के गलत नाम नरेन्द्रसिंह के स्थान पर गजेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह दर्ज किया जाना उचित बताया है तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने भी अपने संयुक्त जवाब मे सहमति जाहिर करते हुये प्रार्थी के उक्त प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर संशोधन नरेन्द्रसिंह के सथान पर गजेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंहजी किया जाता है तो हमारी पूर्ण सहमति जाहिर की है। पैरोकार सरकार ने भी अपनी बहस मे श्रीमान तहसीलदार,सिरोही के उक्त एडमिटेड जवाब व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के सहमति के संयुक्त जवाब के आधार पर वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे प्रार्थी का गलत नाम नरेन्द्रसिंह के स्थान पर सही नाम गजेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंहजी दर्ज किये जाने पर कोई आपत्ति नही होना बताया है। उक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का सही गजेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंहजी है जबकि राजस्व कर्मचारियो ने भूल व त्रुटिवश प्रार्थी का गलत नाम नरेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंहजी राजपूत ी गलत नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर दिया है। अतः प्रार्थी के उक्त नाम की त्रुटि लिपिकिय त्रुटि की परिभाषा मे आने से न्यायहित मे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है अन्यथा भविष्य मे प्रार्थी को मानसिक तनाव व आर्थिक नुकसान हो सकता है तथा भविष्य मे उक्त मामले मे कानूनी उलझने पैदा हो सकती है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार सिरोही) को आदेश दिया जाता है कि ग्राम मडीया तहसील सिरोही मे स्थित कृषि भूमि मय कुंआ खाता संख्या नया 135 पुराना 119 खसरा नंबर कमशः 1368,1369,1370,1376,385 कुल किता 5 कुल क्षैत्रफल 8.7600 हैक्टेयर मे खातेदार नरेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह के स्थान पर गजेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह दर्ज कर जमाबंदी अपडेट कर पालना रिर्पोट एक सप्ताह मे इस न्यायालय मे आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें । निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 29–8–2019 को मेरे हस्ताक्षर ,पदनाम,व न्यायालय की गोल मुहार से जारी किया गया ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)